

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना।

पटना, दिनांक -

विषय - शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान -101 आयुर्वेद-0002 आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना, विपत्र कोड- 20-2210051010002 एवं मांग संख्या - 20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न इकाईयों में तृतीय अनुपूरक से उपबंधित राशि कुल- 20,56,000/- (बीस लाख छप्पन हजार) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए कुल 20,56,000/- (बीस लाख छप्पन हजार) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.4.1998 एवं राज्यादेश संख्या-428/वि० दिनांक-31.03.2017 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3002/वि० दिनांक-26.4.2017 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-101 आयुर्वेद-0002 आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना विपत्र कोड- 20-2210051010002 एवं मांग संख्या - 20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बल उपबंध से की जाएगी। इस आवंटित राशि से स्नातकोत्तर विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना के कर्मचारियों का भी वेतनादि निकासी की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना एवं नियंत्री पदाधिकारी, प्राधिकृत पदाधिकारी आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे०चि०) दिनांक - 12.02.99 एवं 801 (दे०चि०) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करवा हुए किया जायेगा।

8. अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में उपबंधित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उसमें निहित शर्त के अनुसार किया जायेगा।

9. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

10. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

11. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में, माह फरवरी 2018 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात् ही बकाया वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

12. वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से पूर्व में निर्गत आवंटन के अतिरिक्त यह आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञाप सं०- 48 (आ.चि.) /पटना, दिनांक - 19.03.2018

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वा० के निजी सहायक/प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

सरकार के विशेष सचिव 19/3/18

सरकार के विशेष सचिव 19/3/18

0002 आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना वित्तीय वर्ष 2017-18

विवरण

क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	तृतीय अनुपूरक की राशि	कुल उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वेतन	01-01	33686000	0	33686000	33686000	0	33686000	0
2	जीवन यापन भत्ता	01-03	44128000	0	44128000	44128000	0	44128000	0
3	मकान किराया भत्ता	01-04	10388000	0	10388000	10388000	0	10388000	0
4	परिवहन भत्ता	01-05	680000	0	680000	680000	0	680000	0
5	चिकित्सा भत्ता	01-06	185000	0	185000	185000	0	185000	0
6	अन्य भत्ता	01-07	25000	0	25000	25000	0	25000	0
	योग (वेतन एवं भत्ता)		89092000	0	89092000	89092000	0	89092000	0
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06-01	200000	430000	630000	200000	430000	630000	0
8	यात्रा व्यय	11-01	200000	0	200000	200000	0	200000	0
9	कार्यालय व्यय	13-01	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000	0
10	दूरभाष	13-03	20000	0	20000	20000	0	20000	0
11	विद्युत प्रभार	13-04	2000000	1626000	3626000	2000000	1626000	3626000	0
12	विधि प्रभार	13-05	50000	0	50000	50000	0	50000	0
13	वर्दी पोशाक	13-06	200000	0	200000	200000	0	200000	0
14	किराया म0 एवं कर	14-01	500000	0	500000	500000	0	500000	0
15	प्रशिक्षण व्यय	20-03	0	0	0	0	0	0	0
16	सामग्री एवं पूर्तियां	21-01	500000	0	500000	500000	0	500000	0
17	दवा भंडार	21-02	200000	0	200000	200000	0	200000	0
18	आहार एवं पथ्य	21-03	0	0	0	0	0	0	0
19	अनुस्नान एवं मरम्मत	27-02	5000000	0	5000000	5000000	0	5000000	0
20	सविदा सेवार्ये	28 02	10000000	0	10000000	10000000	0	10000000	0
21	छात्रवृत्ति / बजीफा	34-01	20000000	0	20000000	20000000	0	20000000	0
22	मशीन एवं उपस्कर	52-01	0	0	0	0	0	0	0
	योग		174962000	2056000	177018000	174962000	2056000	177018000	0

(बीस लाख छप्पन हजार)

48 ब (आ. चि.)

19.03.2018

15/3/18

सरकार के विशेष सचिव

A1